

**जिला बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग,
जिला उ.ब. कांकेर**

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) के अंतर्गत जिला स्तरीय पदों पर
संविदा कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन

भारत शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वीकृत एकीकृत बाल संरक्षण योजना के प्रावधानों व स्वीकृति अनुसार जिला स्तर पर एकीकृत बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण समिति (इकाई) में किशोर न्याय बोर्ड एवं बालक कल्याण समिति में सहायक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर पद पर संविदा पदों पर भर्ती के लिये पात्र आवेदकों से आवेदन दिनांक ~~6.11.17 से 6.2.17~~ तक आवेदन आमंत्रित है।

उपरोक्त पदों की लिए विवरण निम्नानुसार होगा :-


क्रं.	बालक कल्याण समिति में सहायक सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु संविदा वेतन एवं स्वीकृत पद संख्या		किशोर न्याय बोर्ड में सहायक सह-कम्प्यूटर ऑपरेटर हेतु संविदा वेतन एवं स्वीकृत पद संख्या	
	वेतन	पद	वेतन	पद
	9000 / -	01	9000 / -	01

आवेदन प्रपत्र WWW.kanker.gov.in वेबसाईट पर उपलब्ध है:-

निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र को जिला बाल संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर बस्तर कांकेर कक्ष क्र 09 सयुक्त भवन कलेक्ट्रेट परिसर में निर्धारित तिथि तक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है।

पद के संबंध में विवरण निम्नानुसार है -

पदनाम	अनिवार्य योग्यता	शैक्षणिक	अनिवार्य कौशल	अनुभव	वांछनीय योग्यता
सहायक सह-डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (अनारक्षित)	1 कक्षा 12 वीं (10+2) बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण अथवा किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण । 2 डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा		हिन्दी में 8000 की डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति	शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय संस्था में कार्यालय सहायक/सहायक के रूप में कम से कम 02 वर्ष का अनुभव	अंग्रेजी भाषा में कम्प्यूटर पर कार्य करने की दक्षता



उपरोक्त पदों हेतु नियम व शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति 02 वर्ष के लिए होगी तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्ति व्यक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा आगे बढ़ाने का निर्णय नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा, अन्यथा संविदा नियुक्ति की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
2. संविदा नियुक्ति अवधि में योजना प्रावधानों के अनुसार एकमुश्त मासिक संविदा वेतन देय होगा। अतः संविदा वेतन के अतिरिक्त कोई भी अन्य वेतन/भत्ते की पात्रता नहीं होगी। सेवा समाप्ति के बाद संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को किसी भी प्रकार के पेंशन, उपादान, भत्ता मृत्यु लाभ इत्यादि की भी पात्रता नहीं होगी।
3. संविदा पर की गई नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बताये भी समाप्त की जा सकती है। संविदा अवधि में नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक माह की पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
4. आवेदक की आयु दिनांक 01 जनवरी 2016 की स्थिति में न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए।
5. अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। मूल निवासी के संबंध में सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
6. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रं. एफ-3-2/2015/3/एक नया रायपुर 17/12/2015 को जारी निर्देश के तहत आवेदन जिला उत्तर बस्तर कांकेर के निवासी ही आवेदन के पात्र होंगे। अन्य जिले के आवेदक यदि आवेदन करते हैं, तो अपात्र माने जायेंगे तथा आवेदक के आवेदन पर संबंध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।।
7. अनुभव प्रमाण पत्र पंजीकृत संस्थाओं से बालक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। यदि संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जावक क्रमांक, दिनांक, कार्यालय एवं जारीकर्ता के सील इत्यादि नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य किया जावेगा।



8. आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन के साथ वांछित प्रमाण पत्र एवं अंकसूची स्वप्रमाणित होना चाहिए।
 9. अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था से नियोक्ता द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
 10. शासकीय/अर्द्धशासकीय/निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा।
 11. अपूर्ण अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।
 12. उपरोक्त उल्लेखित योग्यता/अनुभव न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन करते हैं तो उन पर विचार नहीं किया जावेगा।
 14. प्रत्येक पद के लिये पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदित किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
 15. स्किल टेस्ट/कम्प्यूटर परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/व्यय भत्ते देय नहीं होगा।
 16. आवेदन पत्र कार्यालयों में सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही स्वीकार होंगे। आवेदन के साथ स्वयं का पता लिखा हुआ 05 रूपये का टिकट लगा हुआ एक कोरा लिफाफा भी संलग्न करना होगा।
- पद के संबंध में चयन प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

पदनाम	चयन प्रक्रिया
सहायक सह डाटा एन्ट्री आपरेटर	<ol style="list-style-type: none"> 1. वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 100 अंकों का Weightage देते हुए अधिकतम 50 अंक, 2. पदानुरूप अनुभव से अधिक अनुभव होने पर प्रत्येक वर्ष के लिए 5 अंक निर्धारित रहेंगे अनुभव पर अधिकतम 25 अंक दिये जायेंगे। 3. टायपिंग एवं कम्प्यूटर परीक्षा पर 25 अंक दिये जायेगे (टायपिंग परीक्षा भी कम्प्यूटर पर ली जायेगी)



15. प्राप्त आवेदनों के संबंध में जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। यदि उपरोक्त पदों में से अनिवार्य अनुभव हेतु निर्धारित अर्हता युक्त आवेदन न मिलने की स्थिति में प्राप्त आवेदन में से ही अनुभव का अर्हता को शिथिल उसमें कम अनुभव के आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।
16. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कांकेर के सूचना पटल पर एवं वेबसाईट WWW.kanker.gov.in पर देखी जा सकती है।
18. अपात्र अथवा मेरिट क्रम में न आने वाले अभ्यर्थियों को सूचना नहीं दी जायेगी। चयन हुए अभ्यर्थी को मेल एवं एसएमएस से सूचना दी जायेगी। सही मेल आई.डी. व मोबाईल नं. का उल्लेख आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से किया जावे।
19. पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र दिनांक ~~06.11.17~~ ~~06.11.17~~ सायं 05 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(कलेक्टर द्वारा अनुमोदित)



जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं सचिव
जिला बाल संरक्षण समिति
महिला एवं बाल विकास विभाग
कांकेर (छ.ग.)

**कार्यालय, एकीकृत बाल संरक्षण इकाई (महिला एवं बाल विकास)
जिला-उत्तर बस्तर कांकेर**

आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

जिला बाल संरक्षण अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग
उत्तर बस्तर कांकेर

आवेदक अपना
पासपोर्ट साईज
का फोटो स्वयं
के द्वारा
अभिप्रमाणित

आवेदित पद का नाम

1. आवेदक का नाम (हिन्दी में)
(कैपिटल लेटर्स में) :
2. पिता/पति का नाम :
- (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता :
- (ब) स्थाई पता :
- (स) मोबा./ फोन नंबर :
3. (अ) जन्म तिथि अंको में :
- शब्दों में :
4. (जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु हाईस्कूल (10 वीं) परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंक सूची)
शब्दों में दिनांक 01/09/2016 को आयु : वर्ष माह दिन
5. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है ? हां/नहीं:
- (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)
6. वर्ग (अनारक्षित/अ.ज. जाति/अ.पि.व.) :
- (आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण पत्र एवं उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
7. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं :
8. जीवित बच्चों की संख्या :
9. शैक्षणिक योग्यता :



10. शैक्षणिक योग्यता का विवरण

क्र०	शैक्षणिक योग्यता का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	विश्वविद्यालय / संस्था का नाम	प्राप्तांक	अंक	प्रतिशत
1						
2						
3						
4						
5						
6						

कार्यानुभव (अनुभव प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

क्र०	विभाग का नाम	पदनाम	अवधि

11. छत्तीसगढ़ रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन (सत्यापित प्रमाण पत्र संलग्न करें) :.....
12. क्या आवेदक / शासकीय, / अर्द्धशासकीय कर्मचारी है (यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें) :.....
13. संलग्न किये गये सत्यापित प्रमाण पत्रों की सूची :-
 - 1:.....
 - 2:.....
 - 3:.....
 - 4:.....
 - 5:.....
 - 6:.....
 - 7:.....
 - 8:.....
 - 9:.....
 - 10:.....
 - 11:.....

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि इस प्रपत्र में प्रस्तुत समस्त विवरण एवं संलग्न मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है, यदि कोई भी जानकारी/अभिलेख असत्य पायी जाती है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी, जिस हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

दिनांक

स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर

(आवेदक का पूरा नाम/पता)

